न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./08/2026

रामेश्वर पुत्र लालाराम जाति बाबाजी निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर
.....प्रार्थी0

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र जसमत | जाति जाट निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला
2. रामकटोरी पत्नी जसमत | भरतपुर
..... अप्रार्थी0

3. ओमप्रकाश पुत्र लालाराम | जाति बाबाजी निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला
4. महेश पुत्र लालाराम | भरतपुर

.....तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज0 कश्शविरुद्ध श्री सचिन यादव सहायक कलक्टर नदबई वमुकदमा संख्या 164/2025 उनवानी रामेश्वर बनाम मोहन सिंह

उपस्थितः–
1–श्री गोविन्द सिंह डागुर प्रार्थी,
2–श्री कृष्ण कुमार सिंघल अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 20.05.2026

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई ओमप्रकाश, महेश के द्वारा मोहनसिंह वगै0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मोहनसिंह व रामकटोरी अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिसका जबाव प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है जो बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 अप्रार्थीगण के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अन्य प्रतिवादीगणों को उपरोक्त प्रकरणों में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अन्य खसरा नम्बरान जो खातेदारी में हैं उनको अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खुले न्यायालय में प्रार्थी के अधिवक्ता से कहा कि पहले आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर बहस सुनी जाएगी और यह भी कहा कि प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 के आधार पर दावा खारिज होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी जो खुले न्यायालय में दिनांक 26.02.2026 को कही गई जिससे प्रार्थी को पूर्ण आशंका हो गई

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। अतः न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में लम्बित दावा संख्या 164/25 मय प्रार्थना–पत्र 212 आरटी एक्ट मु.संख्या 135/2025 को सहायक कलक्टर नदबई से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक दावा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई ओमप्रकाश, महेश के द्वारा मोहनसिंह वगै0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मोहनसिंह व रामकटोरी अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिसका जबाव प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है जो बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 अप्रार्थीगण के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अन्य प्रतिवादीगणों को उपरोक्त प्रकरणों में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं अन्य खसरा नम्बरान जो खातेदारी में हैं उनको अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खुले न्यायालय में प्रार्थी के अधिवक्ता से कहा कि पहले आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर बहस सुनी जाएगी और यह भी कहा कि प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 के आधार पर दावा खारिज होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी जो खुले न्यायालय में दिनांक 26.02.2026 को कही गई जिससे प्रार्थी को पूर्ण आशंका हो गई है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। अतः न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में लम्बित दावा संख्या 164/25 मय प्रार्थना–पत्र 212 आरटी एक्ट मु.संख्या 135/2025 को सहायक कलक्टर नदबई से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। सहायक कलक्टर

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

नदबई द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहाँ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। इस आधार पर कि अप्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत होने के बाद प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी की ओर प्रस्तुत किया गया है। वकील प्रार्थी का यह कहना कि पीठासीन अधिकारी आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर पहले बहस सुनी जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.03.2026 के अवलोकन से जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्र, आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 7 नियम 11 की बहस में आगामी तारीख पेशी नियत की गई है। जिससे जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। न्यायिक अधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर स्वतंत्र विवेक से निर्णय पारित करता है। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं जिससे यह प्रतीत हो कि सम्बन्धित न्यायालय से उसे निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की संभावना प्रभावित होगी। अतः सामान्य आरोपों के आधार पर स्थानान्तरण का पर्याप्त आधार निर्मित नहीं होता। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर